



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257070  
CG-DL-E-11092024-257070

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 712]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2024/भाद्र 19, 1946

No. 712]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2024/BHADRA 19, 1946

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2024

सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 दिनांक 21.08.2024 को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-III, खंड 4, सं. 642 में प्रकाशित हुए थे,

चूंकि उक्त विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो भी आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी।

और, अब, अतएव, यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2024 दिनांक 16.09.2024 से प्रवृत्त होंगे।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./483/2024-25]

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th August, 2024

**No. L-1/260/2021/CERC.**—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 were published in Part-III, Section 4, No. 642 of the Gazette of India Extraordinary on 21.08.2024,

Whereas, Clause (2) of Regulation 1 of the said regulations provides that the Regulations shall come into force on such date as may be notified by the Commission separately.

And, now, therefore, it is notified that the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and Related Matters) Regulations, 2024 shall come into force with effect from 16.09.2024.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./483/2024-25]